



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 55(अ).—कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की दिनांक 4 जनवरी, 2017 की अधिसूचना को निम्नानुसार आंशिक रूप में संशोधित किया जाता है:-

- i) प्रथम, द्वितीय अनुसूची तथा तृतीय अनुसूची में इंगित वेतन मैट्रिक्स स्तर 13 को 1,18,500 रु. से 2,14,100 रु. के रूप में पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए। इसी प्रकार, द्वितीय अनुसूची में इंगित वेतन मैट्रिक्स 12 को 78,800-2,09,200 रु. के रूप में पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त तृतीय अनुसूची में इंगित वेतन मैट्रिक्स 11 को 67,700-2,08,700 रु. के रूप में पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए।
- ii) कॉलम 2 में, द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 5, सीधी भर्ती की पद्धति "यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50%" के रूप में पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए।
- iii) प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) हेतु चयन के आवश्यकता योग्यता के क्षेत्र से संबंधित द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 4 के कॉलम 4 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है:
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में डिग्री (निश्चित विषय प्रत्येक भर्ती के समय इंगित किया जाएगा);
 - (ii) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में उत्पादन या अनुरक्षण या सेवा या अध्यापन या प्रशिक्षण में पर्यवेक्षण क्षमता में 12 वर्षों का अनुभव, जिसमें दो वर्षों का प्रशासनिक अनुभव सम्मिलित है।
- iv) द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के कॉलम 4 में टिप्पणी 1 को इस प्रकार से पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 वाले पद पर प्रोन्नति, इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वेतन मैट्रिक्स स्तर 12 वाले पद से होगी जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स स्तर में 12 और 11 में ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर होगी जिसमें से 3 वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 में की गई होनी चाहिए। यह केवल उन पदधारियों पर लागू होगा जो इन सेवा नियमों की अधिसूचना की तारीख पर वेतन मैट्रिक्स 11 और 12 में नियमित सेवा पद (पदों) को धारण किए हुए हैं।

- v) प्रोन्नति द्वारा चयन के क्षेत्र से संबंधित द्वितीय अनुसूची के कॉलम 4 (ख), क्रम संख्या-5 को इस प्रकार पढ़ने के लिए इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाए:
राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।

[फा. सं. डीजीटी-ए61012/1/2015-प्रशा.II]

आशीष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th January, 2017

G.S.R. 55(E).—Ministry of Skill Development and Entrepreneurship notification GSR 5(E) dated 4th January, 2017 is hereby partially modified as under:-

- I) In Rule 9(1) “clause 1 of Rule 2” may be substituted to read as “clause c of Rule 2”
- II) Pay Matrix Level 13 indicated in First, Second Schedule and Third Schedule may be substituted to read as Rs 1,18,500 to 2,14,100. Similarly Pay Matrix Level 12 indicated in Second Schedule may be substituted to read as Rs. 78,800-2, 09,200 .Further Pay Matrix Level 11 as indicated in the Third Schedule may be substituted to read as Rs.67, 700-2, 08,700.
- III) in column 2, serial no.5 of Second Schedule , method of Direct recruitment may be substituted to read as “50% by Direct recruitment through Indian Engineering Service Examination conducted by UPSC”.
- IV) In column 4 of serial no.4 of Second Schedule relating to field of selection Essential Qualification for deputation (ISTC) following is substituted:-
(i)A degree in the appropriate branch of engineering of a recognised university or institute (the exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment);
ii)Twelve years’ experience in a supervisory capacity in production or maintenance or servicing or teaching or training in a recognised technical institute including two years’ administrative experience.
- V) Note 1 in column 4 of sl.no 2 of Second Schedule may be substituted to read as follows:-
Promotion to the post carrying Pay Matrix Level 13 may be made from the post carrying the Pay Matrix Level 12 upon completion of 5 years of regular service in the grade, failing which the promotion shall be made from upon completion of 10 years of regular service in the grade or Pay Matrix Level 12 and 11 out of which 3 years of regular service should have been rendered in the Pay Matrix Level 12 . This shall be applicable only to the incumbents who are occupying the regular Service post(s) in the Pay Matrix Level 11 and 12 as on the date of notification of these Service rules.
- VI) Column 4 (b) ,serial no 5 of Schedule Second relating to field of selection by promotion may be substituted to read as follows:
A degree from a recognised university with National Trade Certificate or National Apprenticeship Certificate.

[F. No. DGT-A61012/1/2015-Adm.II]

ASHEESH SHARMA, Jt. Secy.